उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी–07/वसूली/2017–18 दिनांक–21.04.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– वर्ष 2016–17 (दि0 31.03.2017 तक) का एन.पी.ए. विवरण पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

वर्ष 2016–17 का आर्थिक चिठ्ठा तैयार किये जाने हेतु प्रधान कार्यालय परिपत्र सं0 सी-121/लेखा/आर्थिक चिट्ठा/2016-17 दि0 17.03.2017 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। आर्थिक चिठ्ठा तैयार किये जाने हेतु वर्ष 2016–17 के शाखाओं के श्रेणीवार एन.पी.ए. के विवरण पत्र आवश्यक है। अतएव दि0 31.3.17 तक के समस्त ऋण खातों का पी.ए. अथवा एन.पी.ए. का श्रेणीवार चिन्हांकन करते हुए शाखा का एन.पी.ए. रजिस्टर तैयार कर लिया जाय। इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्र0 का0 परिपत्रांक सी–05/एनपीए सेल/2014–15 दिनांक 16.4.2014 द्वारा पूर्व में ही प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही एन.पी.ए. रजिस्टर तैयार किया जाये।

उपर्युक्तानुसार तैयार एन.पी.ए. रजिस्टर के आधार पर एन.पी.ए. का श्रेणीवार वर्गीकरण करके शाखास्तर पर एन.पी.ए. की श्रेणीवार सूचना संकलित किया जायेगा। यह ध्यान रहे कि पी.ए. (मानक श्रेणी) अथवा एन.पी.ए. का श्रेणीवार निर्धारण सम्बन्धित ऋण खातों की आउटस्टैन्डिंग मूलधन के आधार पर ही किया जायेगा, (एन.पी.ए. रजिस्टर के कालम नं0 9 के अनुसार) न कि शाखा की कुल लोन आउटस्टैन्डिंग के आधार पर।

आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रेणीवार एन.पी.ए. विवरण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप **'अ'** एवं **'ब'** जो आपको पूर्व में परिपत्रांक सी–05/एनपीए सेल/2014–15 दिनांक 16.4.2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, पर तैयार कर एन.पी.ए. विवरण मण्डल स्तरीय शाखा पर दिनांक 23.4.2017 तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा मण्डलस्तरीय प्रबन्धक द्वारा अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से प्राप्त श्रेणीवार एन.पी.ए. विवरण पत्रों को संकलित कर (केवल माइक्रोसाफ्ट एक्सेल शीट पर होरिजेन्टल, मण्डल में कार्यरत शाखाओं का क्रम MIS के क्रमानुसार) दिनांक 24.4.2017 तक मेल द्वारा वसूली अनुभाग की ईमेल आईडी **upsgvbrec@gmail.com** पर तथा मूलप्रति (संकलित एवं शाखास्तर से प्राप्त) दिनांक 25.04.2017 तक प्रधान कार्यालय में आहूत बैठक के दिन वसूली अनुभाग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–प्रारूप ''अ'' एवं ''ब''

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक को इस आशय से कृपया वर्ष 2016–17 (दि0 31.3.2017 तक) का एन.पी.ए विवरण पत्र निर्धारित तिथि तक बनवाना, परीक्षण कराना तथा वसूली अनुभाग को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय,/प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.सेल) को शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु।

ह0/–
(ए.के. शुक्ला)
महाप्रबन्धक (प्रशासन/वसूली)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रारूप (अ)

वर्ष 2016-17 (दिनांक 31.03.2017 तक) का श्रेणीवार एन.पी.ए. का विवरण-पत्र

शाखा : जनपद :

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	विवरण	कृषि क्षेत्र की योजनायें		अकृषि क्षेत्र की योजनायें		कुल योग	
		सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन	सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन	सदस्यों/ बकायेदारों की संख्या	इन सदस्यों/ बकायेदारों पर लगा कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मानक						
2	उपमानक						
3	संदिग्ध-1						
4	संदिग्ध-2						
5	संदिग्ध-3						
6	घाटे की आस्तियां						
	योग						

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा आंकिक

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा प्रबन्धक-
मुहर

नोट : (1) प्रारूप 'अ' के कॉलम नं0 -8 का योग+शाखा का आई.एन.सी. ब्याज+पी.ए. खातों का ब्याज = शाखा की कुल आउटस्टैंडिंग (जनरल लेजर के अनुसार) होनी चाहिये।

(2) जिन शाखाओं पर हानिप्रद आस्तियां दर्शायी गयी है। उन शाखाओं द्वारा प्रारूप 'ब' पर विवरण प्रेषित करना अनिवार्य है।

(3) यह सूचना जनपद एवं मंडलीय शाखा स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा माइक्रोसाफ्ट एक्सेल शीट पर (Horigentlly) अनिवार्य रूप से संकलित कर EMail द्वारा प्रेषित की जाये।

प्रारूप (ब)

घाटे की आस्तियों का वार्षिक विवरण-पत्र

शाखा : जनपद :

(धनराशि लाख में)

क्रम	विवरण	बकायेदारों की संख्या	दिनांक 31.03.17 को इन बकायेदारों पर लगा हुआ कुल ऋण **(Total Loan Outstanding)**	दिनांक 31.03.17 को इन बकायेदारों पर लगा हुआ कुल आउटस्टैंडिंग मूलधन **(Outstanding Principal)**
1	2	3	4	5
1	ऋण के जिन मामलों मे किसी न्यायालय द्वारा बैंक के विरूद्ध डिक्री हो गयी हो एवं अन्य कोई सबूत न हो, जिसके अनुसार दावा किया जा सके।			
2	ऋण के जिन मामलों में ऋणी सदस्य एवं उसके प्रतिभू दीवालिया घोषित हो गये हों अथवा मृतक की दशा में कोई भी सम्पत्ति न हो।			
3	ऋणी सदस्य अपना निवास स्थान एवं कोई भी सम्पत्ति न छोड़कर कहीं चला गया हो तथा उसके प्रतिभू से वसूली का कोई भी स्रोत न हो।			
4	ऋण का जहॉं दुरूपयोग हुआ हो या ऋण जो फिक्टिसस है।			
5	ऋण से निर्मित्त सम्पत्ति बिल्कुल नष्ट हो गयी हो और ऋण की अदायगी के लिये कोई अन्य सम्पत्ति न हो।			
6	ऋण के जिन मामलों में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का टाइटिल ही त्रुटिपूर्ण हो।			
7	जिन मामलों में ऋण अदायगी करने का दायित्व विवादास्पद हो।			
8	बैंक के ऋण से क्रीत/निर्मित प्रोजेक्ट निष्फल हो गये हो और सब्सिडी या राहत की धनराशि पर्याप्त न हो।			
	योग			

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा आंकिक
मुहर

हस्ताक्षर
(नाम)
शाखा प्रबन्धक-
मुहर